(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1314–चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–08–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–235/86–87

.....

बैजनाथ पुत्र अवधशरण (मृतक) वारिसान :–

1– देवसरन पाडें पुत्र श्री बैजनाथ
निवासी–कसियार गांव, तहसील मउगंज
जिला–रीवा (म0प्र0)

————आवेदक

विरूद्ध

रामशिरोमणि पुत्र रामलाल
निवासी–कसियार गांव, तहसील मउगंज
जिला–रीवा (म0प्र0)

————अनावेदक

.....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-05-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 269/92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–08–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

/2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करके निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नं0 467 रकबा 0.40 हैक्टर पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार कानूनी तौर पर अर्जित हो गये है। कब्जा दर्ज किया

जावे। तहसील न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 60/अ–6/84–85 पर पंजीबद्ध किया गया तथा संहिता की धारा 190–110 के तहत दिनांक 25.11.85 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 70/अ–6/85–86 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 25.03.87 द्वारा अनावेदक की अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के आदेश दिनांक 25.03.87 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 235/86–87/अपील पर दर्ज किया जाकर दिनांक 30.08.08 को अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2008 विधि विधान के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार बाह्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड पत्र उपलब्ध साक्ष्य को कतई अनदेखा करके पक्षपात रूप से आदेश पारित किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपने दावे को साबित करने के लिये आवेदक द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वर्ष 1956 लगायत 1979 तक के खसरों की प्रमाणित प्रविष्टियां प्रदर्श पी–1 लगायत पी–10 प्रदर्शित की गई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इस महत्वपूर्ण साक्ष्य का विवेचना किये बगैर विवादित आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों तहसील न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को कब्जे के आधार पर भू स्वामित्व प्रदान किया है, जबकि कब्जे के आधार पर स्वत्व का निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। स्वत्व के निराकरण के लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 69–70, 78–79 से 82–83, 83–84 व 84–85 तथा वार्षिक खतौनी जमाबंदी 58–59 में अनावेदक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज ने भी किस आधार

पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित किया है यह स्पष्ट नहीं है। जब अनावेदक 58–59 से चला आ रहा है तथा खसरों में आवेदक अतिक्रमण के रूप में भी दर्ज नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज ने आवेदक का कब्जा प्रमाणित कर स्वत्व प्रदान कर दिया है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने भी अपने विस्तृत आदेश में इसकी पुष्टि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2008 न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,